

स० स० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शिव बाबू पिता- विनोद कुमार साहू ग्राम+पो- चोरा महरैल थाना- झंझारपुर जिला- मधुबनी यूएचआईडी नं०- 108227809	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
2	मो० तस्लीम उद्दीन पिता- सिराज उद्दीन ग्राम- बनभाग पो- परोरा थाना- के नगर जिला- पूर्णियाँ यूएचआईडी नं०- 102688497	Post Renal Transplant	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	प्रिंस कुमार पिता- सहदेव यादव ग्राम- सम्पत बिगहा पो- शेरपुर थाना- सिरदला जिला- नवादा यूएचआईडी नं०- 108264365	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	6,00,000	छ लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

4	मिथलेश कुमार पिता- विजय राम ग्राम+पो- नारी खुर्द थाना- तिसिऔता जिला- वैशाली यूएचआईडी न०- 103918399	Post Kidney Transplant	55,000	पचपन हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			11,95,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,95,000/- (ग्यारह लाख पन्चानवे हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 196907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं 10874588593, खाता धारक का नाम- AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं-SBIN 0001536 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1486(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं 196907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक... ..

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनमोल कुमार पिता- राधाकांत उपाध्याय ग्राम- कोटवा बाजार पो0+थाना- कोटवा जिला- पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी न0- 107354197	Juvenile Indiopathic Arthritis	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 17.6207... ..द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० - 10874584010, खाता धारक का नाम- निदेशक, अ० भा० आ० सं०, खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की

संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 30/5/2021

ज्ञापाक 1487(14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196707 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.. ...

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	आनंद कुमार पिता— स्व० अशोक कुमार ग्राम— शिवगज पो०— दरियापुर थाना— मुफसिल जिला— मुंगेर यूएचआईडी न०— 108218508	ब्रेन हेमरेज	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 2,00,000 /—	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000 /— (दो लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196707 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०—10874584247, खाता धारक का नाम—AIIMS CNC ACCOUNT खाते का प्रकार— चालु, बैंक का नाम—एस० बी० आई०, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड स०—SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

५

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1488(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
मैक्स सुपर स्पेशलीटी अस्पताल
डब्लू-3, सेक्टर-1
वैशाली, गाजियाबाद- 201012

पटना, दिनांक

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मास्टर दिवीत कुमार माता- निकिता कुमारी ग्राम- मौजे वार्ड न0- 3 पो0+थाना-रक्सौल जिला- पूर्वी चम्पारण	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
2	सरिता देवी पति- सजय कुमार ग्राम- हरी जी का हात्ता डुमराँव पो0+थाना- डुमराव जिला- बक्सर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 5,80,000 /-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,80,000 /- (पाँच लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 126907... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 602014099405 खाता धारक का नाम-क्रासले रेमिडीज लि0" खाते का प्रकार- Overdraft Account बैंक का नाम-INDUSIND BANK शाखा का नाम-डा0 गोपाल दास भवन 28 बारखम्बा रोड नई दिल्ली-110001 RTGS/ IFSC कोड सं0 INDB0000005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

९

5. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1489(14)

पटना, दिनांक 30/5/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 176707 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई०टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14 / एम 11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

**TENDER PALM SUPER SPECIALITY HOSPITAL,
Gomati Nagar Extension,
Shaheed Path, Lucknow - 226002**

पटना, दिनांक

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सजय साह पिता- बृजबिहारी साह ग्राम- शिवराजपुर पो०- खजुरी थाना- कुचायकोट जिला- गोपालगंज	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			3,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196707 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200094202233 खाता धारक का नाम- "Health Plus Research & Medicentre LLP" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC BANK, शाखा का नाम- SAPRU MARG HAZRATGANJ BRANCH LUCKNOW 226001, ब्रांच, RTGS/ IFSC कोड सं० HDFC0001267 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

॥

- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1490(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 176907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	श्रेयांश पासवान पिता- सर्विन्द कुमार ग्राम- जसौली टोला इमलिया पो0- जसौली थाना- कथैया जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2022622552	ब्रेन ट्यूमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	रजन कुमार पिता- रामसिया साह ग्राम- जामापुर पो0+थाना- जीरादेई जिला- सिवान सीआर न0- 2025281488	Arthroscopic Meniscal Repair	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	सरोज देवी पति- कृष्णा राम ग्राम- बैकुण्ठवा पो0- खड्डा कुजलाही थाना- नौतन जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 2023222188	Arthritis	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	मलिका तरन्नुम पति- गौश शफक ग्राम+पो0- रक्सा थाना- करजा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2025180663	लिवर पीत नली सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

६

5	माही सिंह पिता- बिमल कुमार सिंह ग्राम- योगीबीर पो0- कमरियाव थाना- तियर जिला- भोजपुर सीआर न0- 2025164327	SLE Renal abscass	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
6	पुनम देवी पति- श्रवण कुमार नायक ग्राम+पो0+थाना- साहरघाट जिला- मधुबनी सीआर न0- 2023674823	ब्रेन ट्यूमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	सुशील कुमार पिता- जीवछ मिश्रा ग्राम- बहेरा जाहिदपुर पो0- बहेरा थाना- नानपुर जिला- सीतामढी सीआर न0- 2022500765	Chronic Pancreatitis	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
8	सार्जन कुमार पिता- महेद्र रजक ग्राम+पो0- ठाठा बार्ड न0- 04 थाना- मानसी जिला- खगडिया सीआर न0- 2024178507	Episr dias Complex	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
9	राजदेव पिता- ज्ञानी यादव ग्राम- भलुआ बुजुर्ग पो0- खानपुर थाना- माझी जिला- सारण सीआर न0- 2025176773	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
10	प्रशांत कुमार पिता- प्रभु कुमार ग्राम- अधारपुर उर्फ चक निजामत पो0- अधारपुर थाना- मुफसिल जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 2017674162	विल्सन रोग	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
11	विजय कुमार चौधरी पिता- रामचंद्र चौधरी ग्राम- खजुटिया पो0+थाना- घटहो जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 2015254052	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

12	आरव ठाकुर पिता- अरविन्द कुमार ठाकुर ग्राम- निरजलहॉ पो0- रतनपुरा थाना- गोपालपुर जिला- गोपालगंज सीआर न0- 2025173658	Right Puj Obstruction	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
13	अजित कुमार पिता- जवाहर सिंह ग्राम- सुकहरा पो0- धवनी थाना- काराकाट जिला- रोहतास सीआर न0- 2020447528	फिस्टुला (यूरोलॉजी)	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
14	हिदायतुल्लाह पिता- खलील शाह ग्राम- रौतारी पो0+थाना- बिजयीपुर जिला- गोपालगंज सीआर नं0- 2025054378	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	सिन्धू कुमारी पिता- रामनरेश तिवारी ग्राम- अमेया पो0- महुआवा थाना- कटेया जिला- गोपालगंज सीआर न0- 2025207785	हृदय रोग डीभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
16	बंशी धर पाल पिता- रामकुमार पाल ग्राम+पो0- धनेज थाना- करगहर जिला- रोहतास सीआर न0- 2011733413	हृदय रोग बीएमभी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
17	रूपा देवी पति- मुन्ना कुमार ग्राम+पो0+थाना- घोसी जिला- जहानाबाद सीआर न0- 20171007243	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	जवाहरलाल प्रसाद पिता- महेद्र महतो ग्राम- हनुमान नगर पो0+थाना- महुआवा जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 2020475692	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

15

19	कन्हैया कुमार पिता- गुड्डू साह ग्राम+पो0- नोनौरा थाना- घोडासाहन जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 2025360217	Lt. Renal Mass- Wilms Tumor	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
20	अरविन्द राय पिता-ब्रदी राय ग्राम+पो0- महामदा थाना- गरखा जिला- सारण सीआर न0- 2022597395	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
21	सुरुचि केशरी पिता- अनिल कुमार केशरी ग्राम- सैदपुर नहर रोड शिवम अपार्टमेंट फ्लैट 208 पो0- बाकीपुर थाना- कदमकुआ जिला- पटना सीआर न0- 2025002851	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
22	उमेश कुमार सिंह पिता- भिखारी सिंह ग्राम- नारायणपुर पो0- सहियार थाना- सिमरी जिला- बक्सर सीआर नं0- 2025386797	Endovascular FD	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			24,25,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 24,25,000/- (चौबीस लाख पच्चीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 1.76.70.7 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय ।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1491 (14)

पटना, दिनांक

30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ~~126207~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
मेडिकल सुपरिन्टेन्डेंट,
किंग जार्ज, मेडिकल यूनिवर्सिटी,
गांधी मेमोरियल एंड एसोसियेटेड अस्पताल
लखनऊ, उ0 प्र0- 226003

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	माला देवी पति- हरेश चौधरी ग्राम- पडरौना पो0- हरदिया थाना- बडहरिया जिला- सिवान	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00, 000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-20229846024 खाता धारक का नाम-CHIEF MEDICAL SUPERITENDENT (P.M& C.M) खाता” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-K.G.M.C LUCKNOW, RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000K656 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

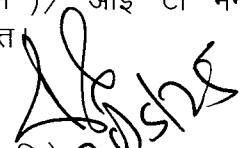
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1492(14)

पटना, दिनांक 30/5/2021

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196707 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
सर सुन्दर लाल अस्पताल,
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी -221005

पटना, दिनांक.....

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	पिन्टू नट पिता- चन्द्रिका नट ग्राम- बगही नट टोला पो0- बगही रतनपुर थाना- बैरिया जिला- पश्चिम चम्पारण एमआरडी न0- 7410589	न्यूरो सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	मनोज राय पिता- राजराम राय ग्राम+पो0- तुर्की थाना- कुदरा जिला- कैमूर भभुआ ओपीडी न0- 25/31923	नी रीप्लसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	शहीद मसूरी पिता- बाबू हसन मंसूरी ग्राम- बभनौली पो0- गौशाला रोड सिवान थाना- महादेव जिला- सिवान एमआरडी न0- 7319940	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	सुमन कुमारी पति- सुजीत कुमार ग्राम- बेला पो0- औरंगाबाद थाना- मुफ्फशील जिला- औरंगाबाद एमआरडी न0- 7310615	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	बसती देवी पति- ब्रजनदन मेहता ग्राम- सुही पो0- तुरता थाना- कुटुम्बा जिला- औरंगाबाद एमआरडी न0- 5362200	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	मजू कुमारी पति- सजीत कुमार ग्राम- भगतगज पो0- खुदुरु थाना- दिनारा जिला- रोहतास एमआरडी न0- 7021274	Nepherlogy	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
7	विद्यावती कुंवर पति- रामानुग्रह मिश्र ग्राम- कल्याणपुर पो0- सिलारी थाना- करगहर जिला- रोहतास एमआरडी न0- 6755421	न्यूरोलॉजी	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
8	श्वेता शुक्ला पिता- पुलस्त शुक्ला ग्राम- सज्जाहिडरा पो0- अख्तियारपुर थाना- करगहर जिला- रोहतास एमआरडी नं0- 7236413	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	रेनू पति- लव उपाध्याय ग्राम+पो0- नदन थाना- डुमराव जिला- बक्सर एमआरडी न0- 7091282	Nepherlogy	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
10	नन्द कुमार पिता- भगवान सिंह ग्राम- सबानद डिहरी पो0- कुशी थाना- काराकाट जिला- रोहतास एमआरडी न0- 7323445	CKD 5D	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
11	रीना देवी पति- शशि कुमार सिंह ग्राम- आदर्श नगर कर्मा रोड थाना- टाउन पो0+जिला- औरंगाबाद एमआरडी न0- 6796035	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

12	राजेंद्र राम पिता- रामराज राम ग्राम- गम्हरिया पो0- मोकर थाना- अगरेर जिला- रोहतास एमआरडी न0- 7143375	Spondyloarthropathy	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
13	वरुण तिवारी पिता- जर्नादन तिवारी ग्राम+पो0- टोला सिपाया थाना- विश्वम्भरपुर जिला- गोपालगज एमआरडी न0- 7344745	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	खुशी लाल शाह पिता- रामदास साह ग्राम- भलुआना पो0- करनौल चादी थाना- चरपोखरी जिला- भोजपुर एमआरडी न0- 7403569	Neuropthesis Conservative	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
15	अनीता देवी पति- अजित कुमार सिंह ग्राम+पो0- देशपुर थाना- अम्बा जिला- औरंगाबाद एमआरडी नं0- 2286185	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	अनय राज गुप्ता पिता- सजीव कुमार ग्राम- बदरपुर पो0+थाना- कुटुम्बा जिला- औरंगाबाद एमआरडी न0- 6612478	Complicated HSP Conservative	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
17	धर्मशीला देवी पति- शिवमुनी सिंह ग्राम+पो0- महरोढ थाना- नटवार जिला- रोहतास एमआरडी नं0- 5232816	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 14,30,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 14,30,000/- (चौदह लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 196907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 27790100039150 खाता धारक का नाम- Other-Patient Relief Fund BHU, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- Bank of Baroda, शाखा का नाम- BHU, Varanasi, RTGS/IFSC कोड सं0 BARB0BHUVAR मे अंतरित किया जाता है।

१

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1493(14)

पटना, दिनांक

30/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 1.9.69.07 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14 / एम 11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक
एपेक्स अस्पताल प्रा० लि०
डी०एल० डबलु हाईडिल रोड,
वाराणसी। 221004

पटना, दिनांक... ..

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रंजन कुमार चौधरी पिता- राजेंद्र प्रसाद चौधरी ग्राम- बनूआ टोली बाजारी पो०- बनूआ थाना- डीबरा जिला- औरंगाबाद	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	कपिल देव सिंह पिता- रिखीनाथ सिंह ग्राम- कर्णपुरा पो०+थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	रीता देवी पति- जय नारायण राय ग्राम- बबुरबानी पो०+थाना- सोनपुर जिला- सारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सोनम देवी पति- आशीष प्रसाद ग्राम- तुगी बेलदारी पो०- तुगी थाना- हिसुआ जिला- नवादा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	प्रभा देवी पति- सरोज राम ग्राम+पो०+थाना- करगहर जिला- रोहतास	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			4,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,00,000/- (चार लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०-

✓

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196907..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-36180579026, खाता धारक का नाम- APEX WELCARE PVT, LTD खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम- SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI RTGS/IFSC कोड स0-SBIN0009252 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1494 (14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 196907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल
घंटी मिल रोड, लहरतारा,
ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा
वाराणसी 221002

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनिता देवी पति- बिजेन्द्र कुमार सिंह ग्राम+पो0+थाना- उदवतनगर जिला- भोजपुर केस फाईल न०-18एफ2024/005600	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	सजय कुमार सिंह पिता- राम विवेक सिंह ग्राम- कवई पो0- सेमरी थाना- दावत जिला- रोहतास केस फाईल न०-18एफ2025/006203	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	राजन कुमार पिता- राजेश राम ग्राम- बडहरवा पो0- सेमरा मेड्रॉल थाना- सेमरा जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न०- केडी/50855	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	आशिकिता कुमारी पति- धर्मद्र कुमार ग्राम- बालगोविंद बिगहा पो0- डेहरी थाना- डेहरी जिला- रोहतास केस फाईल न०-18एफ2025/006691	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	उमा नाथ सिंह पिता- सिद्धेश्वर सिंह ग्राम- पुनौल पो0- चौबार थाना- टनकुप्पा जिला- गया केस फाईल न0- सीएन/11196	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	तेतरी देवी पति- महेद्र सेठ ग्राम- कुरा पो0- अकोढी थाना- मोहनियाँ जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-18एफ2023/012446	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	विश्वनाथ प्रसाद पिता- श्री किशुन कमकर ग्राम- छितौना पो0- अहियापुर थाना- विजयीपुर जिला- गोपालगज केस फाईल न0-18एफ2025/002582	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	सुमित्रा देवी पति- रतन प्रसाद ग्राम- रामपुर पो0- रामचंद्र नगर थाना- जमोहर जिला- औरंगाबाद केस फाईल न0- केई/17076	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	ममता देवी पति- ओम प्रकाश खरवार ग्राम+पो0- लहेरी थाना- कोचस जिला- रोहतास केस फाईल न0-18एफ2023/004849	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
10	अशोक चौधरी पिता- राम प्रसाद चौधरी ग्राम+पो0- नौरगा थाना- मुफसिल जिला- गया केस फाईल नं0-18एफ2025/005563	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	कौशल्या देवी पति- श्री यादव ग्राम+पो0- अकोढी थाना- मोहनियाँ जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-18एफ2024/015827	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

12	रानी देवी पति- धीरज कुमार सिंह ग्राम- बरकुरवा पो0+थाना- पिपरा कोठी जिला- पूर्व चम्पारण केस फाईल न0-18एफ2025 / 003176	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	मनोरजन कुमार पिता- विजय नारायण सिंह ग्राम- बिष्णुपुर पो0- दहा बिघा थाना- नगरनौसा जिला- नालदा केस फाईल न0-18एफ2025 / 005514	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	मास्टर अभिमन्यु कुमार पिता- रूपेश कुमार ग्राम+पो0- घटारो थाना- लालगज जिला- वैशाली केस फाईल न0-19एफ2025 / 002266	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
15	शत्रुधन पाडेय पिता- विश्वनाथ पाडेय ग्राम- धनकुटवा पो0- मुरली थाना- शिकारपुर जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0-18एफ2025 / 004450	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	ऋषिता राज पिता- रामावतार प्रसाद ग्राम+पो0- मेढकुरी थाना- मेसकौर जिला- नवादा केस फाईल न0-18एफ2025 / 003739	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
17	बबीता देवी पति- विशुनदेव पंडित ग्राम+पो0- दात्तापुर थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0-19एफ2025 / 000587	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	उषा देवी पति- लालबाहदुर दास ग्राम- बबुरबन पो0- बबुरबन ताजपुर थाना- बरुराज जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0-19एफ2025 / 000109	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

19	नेहा कुमारी पिता- मेघनाथ सिंह ग्राम- रामडीहा पो0- बारुण थाना- नरारी कला खुर्द जिला- औरंगाबाद केस फाईल न0-18एफ2024 / 006581	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
20	उर्मिला देवी पति- शम्भु नाथ तिवारी ग्राम- पैगा कला पो0- पैगा थाना- भेल्दी जिला- सारण केस फाईल न0-18एफ2025 / 002814	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
21	बसराज गोड पिता- सीताराम गोड ग्राम- महारा देउर पो0- डुमर नरेद्र थाना- भोरे जिला- गोपालगज केस फाईल न0-16एफ2025 / 000341	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
22	लूतफून नेशा पति- मुस्तफा खान ग्राम+पो0- करारी थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-18एफ2025 / 006491	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
23	अभिनदन कुमार पिता- इद्रदेव प्रसाद ग्राम- सुकमा पो0- चोरवर थाना- अरियरी जिला- शेखपुरा केस फाईल न0-18एफ2023 / 016593	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	विकास कुमार पिता- विसर्जन सिंह ग्राम- गर्गा पो0+थाना- नुआव जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-16एफ2024 / 002631	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
25	लालसा देवी पति- महथ साह ग्राम- रामपुर पो0- बहादुरपुर थाना- जामो बाजार जिला- सिवान केस फाईल न0- केडी / 07378	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

26	मीना देवी पति- हरेद्र सिंह ग्राम+पो0- बेरथ थाना- चौरी जिला- भोजपुर केस फाईल न0-18एफ2024 / 013674	कैसर रोग	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
27	अच्छे लाल सोनी पिता- किशनाथ सोनी ग्राम+पो0- अमलोरी थाना- सिवान मुफ्फसिल जिला- सिवान केस फाईल न0-18एफ2025 / 002064	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
28	मो0 नसीम असारी पिता- मो0 युनुस असारी ग्राम- तेमुहॉ पो0- फतेहा थाना- मसूरचक जिला- बेगूसराय केस फाईल न0-19एफ2023 / 003714	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
29	रजना केशरी पति- सजय कुमार ग्राम- सी0डी0ए0 कॉलनी पो0+थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना केस फाईल न0-18एफ2024 / 013267	कैसर रोग	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत।
30	कामेश्वर सिंह पिता- जगदीश सिंह ग्राम- नाटी पो0- कैथी थाना- सोनहन जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-18एफ2023 / 019268	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
31	अश्विनी कुमार सिंह पिता- पति लाल साह ग्राम- वेस्ट लोहानीपुर पचकोरि साव लेन पो0+थाना- कदमकुआँ जिला- पटना केस फाईल न0-18एफ2025 / 004991	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
32	मास्टर शिवनद कुमार पिता- सुरेन्द्र राम ग्राम- राम ककई पो0- डुमरी थाना- शिवसागर जिला- रोहतास केस फाईल नं0-16एफ2025 / 000313	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

33	राजबश सिंह पिता- देवमुनी चौधरी ग्राम- खखडही पो0- चुन्नी थाना- ईटाढी जिला- बक्सर केस फाईल न0-18एफ2025 / 007157	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
34	रीना कुमारी पति- सजय कुमार ग्राम+पो0+थाना- दरिहट जिला- रोहतास केस फाईल न0-16एफ2024 / 001914	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
35	आसिया खातून पति- नूर हसन ग्राम- खरगपुरा पो0- डिहरी थाना- राजपुर जिला- बक्सर केस फाईल न0-18एफ2024 / 013465	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	मास्टर कैलाश कुमार पिता- मिहिन यादव ग्राम- किशनपुर पो0- सहजादपुर थाना- नाथनगर जिला- भागलपुर केस फाईल न0-16एफ2024 / 002410	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	सुन्द्रमा देवी पति- बालेद्रा सिंह ग्राम- छिपुलिया बखरी चोरघट्टा पो0- चोरघट्टा थाना- बरुराज जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0-18एफ2025 / 006343	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
38	मोती सिंह पिता- कलपु सिंह ग्राम+पो0+थाना- भभुआ जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-18एफ2025 / 000584	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
39	आरती कुमारी पति- मिथलेश कुमार तिवारी ग्राम+पो0+थाना- मुरार जिला- बक्सर केस फाईल न0-18एफ2024 / 021317	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
40	शारदा देवी पति- विश्राम यादव ग्राम- घोटा पो0- कर्मा पाडेय थाना- बदेया जिला- औरंगाबाद केस फाईल न0-18एफ2025 / 004907	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

41	प्रियका देवी पति- प्रवीन सिंह ग्राम- कतरडीह पो0- भगवानपुर थाना- कतरीसराय जिला- नालंदा केस फाईल न0-18एफ2024 / 012001	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			39,90,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 39,90,000/- (उनचासी लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0- 3675632747 खाता धारक का नाम- होमी भाभा कैंसर हौस्पिटल, वाराणसी, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- Tata Memorial Cancer (TMC) Hospital, Varanasi, RTGS/IFSC कोड स0 CBIN 0285166 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1495(14)

पटना, दिनांक- 30/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 196907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० स० 14 / एम 11-1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
Care Hospital Care Treatment Centre (P) Ltd.,
Bhikharipur, B.L.W., Sunderpur Road,
Varanasi - 221004

पटना, दिनांक..

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	लक्ष्मि देवी पति- कामता सिंह ग्राम- बाजितपुर पो०+थाना- सझौली जिला- रोहतास	ब्रेन सर्जरी	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	गजानंद कुमार पिता- कन्हैया गोसाई ग्राम- हथेलीपुर मथिया पो०- नया भोजपुर थाना- डुमराव जिला- बक्सर	स्पाइन मल्टीपल सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			3,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,80,000/- (तीन लाख अस्सी हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176977... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 21040638381, खाता धारक का नाम- Care Treatment Center Pvt Ltd., खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- INDIAN BANK, शाखा का नाम-Bhikharipur, Varanasi, RTGS/IFSC कोड सं० IDIB000B874 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है,

इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1496(14)

पटना, दिनांक

30/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०. 126707 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजेश कुमार पिता- विष्णुदेव साहू ग्राम+पो0- साहू परबत्ता थाना- परबत्ता जिला- भागलपुर केस फाईल न0- 11एफ2025/003719	कैसर रोग	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत।
2	रजनी देवी पति- बिनोद प्रसाद सिंह ग्राम+पो0- गगेली थाना- के हाट जिला- पूर्णियाँ केस फाईल न0- 11एफ2024/015968	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
3	शाजदा खातून पति- अफजल हुसैन खान ग्राम- मठिया जिरात पो0- मोतिहारी थाना- छतौनी जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 11एफ2023/011502	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
4	संजय शर्मा पिता- पत्ती शर्मा ग्राम- पाढी पो0+थाना- चाद जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0- सीवी/34218	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	सोभा कुमारी पति- दिनेश प्रसाद साह ग्राम- कमला बाहा पो0- किशनपुर बैकुठ थाना- वारिसनगर जिला- समस्तीपुर केस फाईल नं0- 11एफ2024 / 033657	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	मुन्नी देवी पति- अशोक जायसवाल ग्राम- निर्मली बाजार पो0- रूपौली थाना- भमदाहा जिला- पूर्णियाँ केस फाईल नं0- 11एफ2024 / 009135	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	देवन दास पिता- रमेश दास ग्राम+पो0- बसैठ थाना- बेनीपट्टी जिला- मधुबनी केस फाईल नं0- सीवी / 36887	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	श्वेता कुमारी पति- घनश्याम कुमार ग्राम+पो0- मोर थाना- मोकामा जिला- पटना केस फाईल नं0- केई / 12293	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	सैयद शरफुद्दीन कादरी पिता- सैयद जलालुद्दीन कादरी ग्राम- अमझर शरीफ पो0+थाना- हसपुरा जिला- औरंगाबाद केस फाईल नं0- 11एफ2025 / 003322	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	संजय कुमार गुप्ता पिता-स्व0 शिव कुमार साह ग्राम-जज बाजार बिहिया पोस्ट-बिहिया थाना-बिहिया जिला-भोजपुर केस फाईल नं0-11एफ2025 / 009376	कैसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत।
			5,65,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,65,000/- (पाँच लाख पैसेठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान / अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 19.6.9.07 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 1002449683 खाता धारक का नाम- टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- टी0एम0एच0, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1497(14)

पटना, दिनांक

30/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196917 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
के० ई०एम० अस्पताल
एडं सेठ जी०एस० मेडिकल कालेज
परेल मुम्बई 400012

पटना, दिनांक.. ..

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मुस्कान मनोज विश्वकर्मा पिता- मनोज विश्वकर्मा ग्राम+पो0- बरमसिया थाना- झांझा जिला- जमुई	कोकलियर इम्पलाट	3,10,000	तीन लाख दस हजार स्वीकृत।
			₹ 3,10,000 / -	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,10,000 / - (तीन लाख दस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 186707 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 99350100000877 (S.B.), खाता धारक का नाम- K.E.M. Hospital, Poor Box Charity Fund,, खाते का प्रकार- , बैंक का नाम Bank of Baroda, शाखा का नाम- Parel Branch, RTGS/IFSC कोड सं०- BARB0DBPARE में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख।

ज्ञापाक

1498(14)

पटना, दिनांक

30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०.....196907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक

Rashtra Sant Tukdoji Cancer Hospital,
Manewada Road, Nagpur - 440027.

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कुमार विमल पिता- नागेद्र प्रसाद शर्मा ग्राम- करम पो०- दिरी थाना- अकबरपुर जिला- नवादा	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 176907...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०- 911010046641553, खाता धारक का नाम- Cancer Relief Society RST RCH & RC, खाते का प्रकार- Saving, बैंक का नाम- Axis Bank, Medical Square, Nagpur - 440009, शाखा का नाम- B1, Honey Arcane Complex, Unthkana Road, Medical Square, Nagpur-9, RTGS/IFSC कोड स०- UTIB 0001044 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1499 (14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176707 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0 14 / एम 11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज
आई०डी०ए०, स्कुडर रोड
पी० बी० नं०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1		3	4	5
1	नीरज कुमार पिता- ब्रह्मा देव यादव ग्राम- सिमरा पो०- सागी थाना- फुलपरास जिला- मधुबनी सीएमसी न०- 935383 जी	Chronic Kidney Disease	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	संदीप मालाकार पिता- गोबिन्द मालाकार ग्राम- अन्दर किला पो०+थाना- टिकारी जिला- गया सीएमसी नं०- 217416 सी	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	जीतेन्द्र कुमार पिता- तुलसी चौधरी ग्राम- कुझी पो०- भांगौसा मखदूमपुर थाना- वजीरगज जिला- गया सीएमसी न०- एएच 93142	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	अंशु कुमार पिता- वृजमोहन पासवान ग्राम- रायपुरा पो०- राम बिलाश नगर थाना- मुफ्फशील जिला- औरंगाबाद सीएमसी न०- एआई 33488	Atlanto axial Dislocation	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	अमरजीत शेखर पिता- नरोत्तम कुमार ग्राम+पो0- छोटकी अमावां थाना- अकबरपुर जिला- नवादा सीएमसी न0- एबी 19114	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
6	मास्टर विशाल कुमार पिता- मटू कुमार ग्राम- थाना चौक जमुई पो0+थाना+जिला- जमुई सीएमसी नं0- एआई 93037	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	चदन कुमार सिंह पिता- लक्ष्मी नारायण सिंह ग्राम- कुमारीपुर बालुटोला पो0- कुमारीपुर थाना- मनिहारी जिला- कटिहार सीएमसी न0- एआई 96932	मस्तिष्क ट्यूमर	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
8	कचन कुमारी पति- सुनील ठाकुर ग्राम- काजीचक पो0- खजुरार थाना- भदौर जिला- पटना सीएमसी न0- एआई 45942	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	अश्विनी कुमार पिता- बृदाबन कुमार ग्राम- सपनेरी टोला पो0- सपनेरी थाना- खिजरसराय जिला- गया सीएमसी न0- एआई 47430	स्पाइन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
10	अमोद कुमार सिंह पिता- दिनेश सिंह ग्राम- गढी बिशनपुर पो0- किऊल आर एस थाना+जिला- लखीसराय सीएमसी न0- एआई 53919	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	4,50,000	चार लाख पचास हजार स्वीकृत।
11	रामआशीष यादव पिता- शिव यादव ग्राम- बहादि बीघा पो0- ओंडा थाना- सरे जिला- नालंदा सीएमसी न0- एएफ 15961	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

12	सरिता कुमारी पति- अखिलेश कुमार ग्राम- नोनगढ पो0+थाना- तेतरहाट जिला- लखीसराय सीएमसी न0- एबी 47320	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
13	मिरदुला देवी पति- उदय कुमार सिंह ग्राम- बेला काँटी पो0- काँटी थाना- फतेहपुर जिला- गया सीएमसी न0- एआई 28595	ब्रेन सर्जरी	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
14	मनोज साव पिता- सेवा साव ग्राम- इटौन पो0- मननपुर थाना- चानन जिला- लखीसराय सीएमसी न0- एए 03131	ब्रेन सर्जरी	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
15	प्रमोद राणा पिता- रामचन्द्र राणा ग्राम- चितोखर पो0- कमलपुर थाना- टिकारी जिला- गया सीएमसी न0- एजी 33963	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	रमेश कुमार ठाकुर पिता- जगदीश ठाकुर ग्राम- थतियौ पो0- जसौली थाना- कुथैया जिला- मुजफ्फरपुर सीएमसी न0- एआई 97816	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			24,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 24,80,000/- (चौबीस लाख अस्सी हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196907 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36889551846, खाता धारक का नाम- C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस0बी0आई0, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001618 मे अंतरित किया जाता ।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1500(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
पोस्ट ग्रेजुएट इस्टीमेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एड रिसर्च, चंडीगढ़- 160012

पटना, दिनांक ...

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सजय कुमार पिता- राजेंद्र राय ग्राम- हरपुर पो०- गगेया थाना- गायघाट जिला- मुजफ्फरपुर सीआर नं०- 202501002138	गुर्दा प्रत्यारोपण	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			2,75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,75,000/- (दो लाख पचहत्तर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता स०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196707 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 10413583830 खाता धारक का नाम-“डायरेक्टर, पी०जी०आई० प्राइवेट ग्रांट ए०/सी०” खाते का प्रकार- चालु बैंक का नाम- एस० बी० आई०, शाखा का नाम- मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ़ RTGS/IFSC कोड स० 01524 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1501(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0 14/एम 11-01/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक

बी0एम0 बीडला,हार्ट रिसर्च, सेटर

1/1 नेशनल लाईब्रेरी एवेन्यु

कोलकत्ता-700027

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सजय सिंह पिता- हलधर सिंह ग्राम+पो0- रामचुआ थाना- शभुगज जिला- बांका	Cardio thoracic and Vascular Surgery	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			1,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196907... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0- 232102000000002, खाता धारक का नाम- बी0एम0 बीडला हार्ट रिसर्च सेंटर कोलकत्ता, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-7/2 डायमंड हरबर रोड कोलकत्ता-700027 ब्रांच, RTGS/IFSC कोड स0 IOBA0002321 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1502(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 19.6.907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

The Calcutta Medical Research Institute
7/2 Diamond Harbour Road,
Kolkata 700027

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मजुला कुमारी पति— जितेंद्र कुमार ग्राम— मोहन खधा पो०— तेलमर थाना— हरनौत जिला— नालदा	गुर्दा प्रत्यारोपन	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			4,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,00,000/- (चार लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 039251000005, खाता धारक का नाम— THE CALCUTTA MEDICAL RESEARCH INSTITUTE, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— ICICI BANK, शाखा का नाम— ALIPORE, RTGS/IFSC कोड सं०— ICIC0000392 में अंतरित किया जाता।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

७

6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1503(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. ... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 /एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
फोर्टिस अस्पताल लि०
730, आनन्दपुर ई०एम बाईपास रोड
कोलकता -700107

पटना, दिनांक. ...

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पुरेन्द्र कुमार रजक पिता- स्व० सरयू प्रसाद रजक ग्राम- करहरिया रोड बाका पो०+थाना+जिला- बाका	हृदय रोग सीएबीजी	1,45,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			1,45,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,45,000/- (एक लाख पैंतालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०-054031356905, खाता धारक का नाम-Fortis Hospital Limited खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- HSBC BANK LTD, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड स० HSBC0110005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

6. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1504(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० . की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख